प्रेस नोट

क.भ.नि.सं. द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.19 करोड़ दावे निपटाए गए

ऑनलाइन हेल्प डेस्क आरंभ किया गया

क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार कम किए गए

भारत एवं नार्वे के बीच सामाजिक सुरक्षा करारनामा अधिसूचित किया गया

मुख्यालय, नई दिल्ली, 09.03.15 : श्री के.के. जालान, के.भ.नि.आ. ने फरवरी माह के दौरान क.भ.नि.सं. की प्रगति की समीक्षा करते हुए नोट किया कि संगठन ने 10.71 लाख दावे निपटाए । जिसमें से 75% दस दिन के भीतर एवं 95% 20 दिन के भीतर निपटाए गए । इस प्रकार क.भ.नि.सं. द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.19 करोड़ दावे निपटाए गए । उन्होंने नोट किया कि निपटान में लगने वाले समय में प्रगतिशील घटाव से क.भ.नि.सं. द्वारा अधिकतम 20 दिन में दावों को निपटाने की नई समय सीमा का पालन करने संबंधी तैयारी का पता चलता है जिसे कि शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की आशा है ।

फरवरी माह में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा क.भ.नि. सदस्यों के लिए ऑनलाइन हेल्प डेस्क का आरंभ किया गया जिससे वे अपने निष्क्रिय खातों का पता लगाकर इसके अंतरण अथवा निकासी संबंधी कार्रवाई कर सके । क.भ.नि.सं. को ऑनलाइन भुगतान एवं कॉरपोरेट चैक पेयेबल एट पार (सी.सी.पी.ए.पी.) सिस्टम लागू करने संबंधी प्रयासों के लिए बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विसिस एंड इश्योरेंस (बी.एफ.एस.आई) लीडरशिप अवार्ड दिया गया है ।

क.भ.नि. योजना के लिए प्रशासनिक प्रभार को वर्तमान 1.10 से घटाकर वेतन का 0.85% कर दिया गया है । परंतु प्रत्येक बिना किसी अंशदायी सदस्य वाली निष्क्रिय स्थापना के लिए न्यूनतम प्रभार पिचहतर रूपये प्रति माह एवं अन्य स्थापनाओं के लिए प्रति स्थापना पांच सौ रूपये प्रति माह निर्धारित किया गया है । इसी प्रकार, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के लिए बिना किसी अंशदायी सदस्य वाली निष्क्रिय स्थापना के लिए न्यूनतम प्रभार पच्चीस रूपये प्रति माह एवं अन्य स्थापनाओं के लिए प्रति स्थापना सौ रूपये प्रति माह निर्धारित किया गया है । संशोधित प्रभार 01.01.2015 से लागू होंगे ।

फरवरी माह के दौरान, क.भ.नि.सं. द्वारा स्थापनाओं के स्वामित्व संबंधी सांविधिक रिटर्न को ऑनलाइन भरना भी आवश्यक कर दिया गया है । चूंकि इस रिटर्न में मालिक, ठेकेदारों, निदेशक, पार्टनर एवं मैनेजर आदि का विवरण होता है इससे संगठन के नियोक्ताओं के डाटाबेस की उचित पहचान बनाने एवं इसे दुरूस्त करने में सहायता मिलेगी ।

अनुपालन के क्षेत्र में इस माह को वसूली माह के रूप में मनाया गया एवं फील्ड कार्यालयों को चूककर्ताओं के विरूद्ध विशेष कार्रवाई करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निदेश जारी किए गए । इसी प्रकार ऐसे न्यासों जिन्होंने छूट वापिस की है, को अधिकार में लेने के संबंध में अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में भी निदेश जारी किए गए । निकायों के लिए थर्ड पार्टी ऑडिटर्स से ऑडिट एवं अपनी वित्तीय अवस्था की जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि अन्य अंशधारकों द्वारा क्रॉस सब्सिडाइजेशन न हो । क.भ.नि.सं. के हक में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि उत्तराधिकारी स्थापना (जहां पर स्थापना के स्वामित्व में बदलाव हुआ है) पुरानी स्थापना के विरूद्ध लगाई गई नुकसानी के भुगतान की देयता से बच नहीं सकती है ।

फील्ड कार्यालयों को कामगारों को, विशेषत: प्रवासी कामगारों को संगठन द्वारा की गई पहलों जैसे कि यू.ए.एन., बैंक खाते में लाभ का सीधा भुगतान, ऑनलाइन, पासबुक, ऑनलाइन दावा स्थिति, शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में जागरूक बनाया जाए ताकि लाभ लक्ष्य समूह तक पहुंचाया जा सके ।

भारत एवं नार्वे के मध्य सामाजिक सुरक्षा करारनामा (एस.एस.ए.) हुआ है जिसमें वियोजन, सारांशिकरण एवं पोर्टेबिलिटी का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान में एक कामगार जो एक देश से दूसरे देश में 60 माह अथवा कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है उसे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्राप्त होती है बशर्ते वह अपने देश में पहले से कवर्ड हो ।

PRESS NOTE

EPFO settles 1.19 crore claims in the current fiscal

Online Helpdesk launched

EPF Administrative charges slashed

Social Security Agreement between India and Norway notified

Head Office, New Delhi, 9.03.2015: Shri K.K. Jalan Central PF Commissioner while reviewing the progress of EPFO for the month of February noted that the Organisation has settled 10.71 lakh claims out of which 75% were settled within 10 days and 95 % within 20 days. With this, EPFO has settled 1.19 crore claims in the current fiscal. He noted that that the progressive reduction in the time taken for settlement signifies EPFO's readiness to adhere to the new timeline of settling claims within a maximum time of 20 days, which is expected to be notified shortly.

The month of February also saw the Hon'ble Minister of State (Independent Charge) Shri.Bandaru Dattatreya inaugurating an Online Helpdesk for EPF members to trace out their inoperative accounts and take action for either transferring or withdrawing the same.Also, EPFO was conferred with Banking Financial Services and Insurance (BFSI) leadership award in recognition for its efforts in implementing online payments and Corporate Cheque Payable at Par (CCPAP) systems.

The administrative charges in respect of the EPF Scheme has been reduced to 0.85% of the wages from the existing 1.10%.However,the minimum charges payable has been fixed at seventy five rupees per month for every non-functional establishment having no contributory member and five hundred rupees per month per establishment for other establishments. Likewise, the minimum administrative charges with regard to EDLI Scheme have been fixed at twenty five rupees per month for every non-functional establishment having no contributory member and two hundred rupees per month per establishment for other establishments. The revised charges shall be effective w.e.f 1.1.2015.

During February, EPFO also made online filing of the statutory return regarding ownership of establishment mandatory. As the said return contains details of owners, occupiers, directors, partners and managers, this would help the Organisation in refining its database of the employers and their proper identification.

On the compliance front, the month was observed as recovery month and field offices were directed to initiate specific and result oriented action against defaulters.Likewise, directives were also issued regarding the procedure to be followed while taking over Trusts which have surrendered their exemption. It has

been made imperative for the Trusts to be audited by third party auditors to audit and examine their financial health so that no cross subsidization takes place by other existing subscribers. In a shot in the arm for EPFO, the Hon'ble supreme court held that the successor establishment (where transfer of ownership of an establishment has taken place) cannot escape liability of paying damages imposed against the former establishment.

Field offices were also directed to sensitise workers, especially migrant workers, to the various initiatives taken by the Organisation like UAN,direct payment of benefits to their bank accounts, online passbook, online claim status, online registration of grievances etc. so that the benefits available reach the target group.

Social Security Agreement (SSA) has also come into force between India and Kingdom of Norway which provides for detachment, totalisation and portability. Under its provisions, a worker from one country deputed to the other for 60 months or less is exempted from making social security contributions provided he is already covered in his home country.